न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 37/2024, जीसीएमएस पोर्टल नंबर 2024/22

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र शंकर
2. किरण देवी पुत्री शंकर
3. ज्योति पुत्री शंकर

समस्त निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर , राज0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०
2. कैलाश पुत्र काना
3. मोहन पुत्र काना
4. लक्ष्मण पुत्र काना
5. सजना देवी पत्नी श्रवण लाल
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण लाल
7. भंवर सिंह पुत्र गंगा सिंह
8. सुधीर सिंह पुत्र मोती सिंह
9. बालू पुत्र नारायण
10. बंशी पुत्र मांग्या

समस्त वयस्क निवासी रघुनाथपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत सीमा निश्चयकरण व करवाये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांक – 01/07/24

प्रार्थना–पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदार भूमि हाल आराजी खसरा नं. 333/0.14, 513/334/0.1150, 500/243/0.445, हैक्ट. भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का साईवाड भू. अभि. क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिस पर खातेदारी प्रार्थीगण का कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के जिमन नं. 01 मे उल्लेखित भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर बिना किसी बाधा के हाल आबाद रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार है जो आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर विवाद करते रहते है एवं भूमि की सीमाओं को काटने पर आमादा रहते है। प्रार्थना पत्र के जिमन नं. 01 में उल्लेखित भूमि का अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार द्वारा सीमा विवाद करने एवं आये दिन सीमा को काटकर दबाने पर आमादा होने पर प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का दिनांक 23.06.2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहपुरा के आदेश क्रमांक / सीमाज्ञान/2023/02 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमा बताई गई। प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

प्रार्थना पत्र के जिमन नं. 01 में वर्णित भूमि की सीमाओं पर कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है जिससे अप्रार्थीगण पडौसी आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को दबाने पर आमादा रहते है जिससे आये दिन सीमाओं पर विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाओं पर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं प्रार्थीगण की भूमि का श्रीमान उपतहसीलदार 115 के आदेश से सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर स्थायी सीमा चिन्ह के अभाव में आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करने हेतु पुलिस सहायता से पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एंव न्यायसंगत है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. मे स्थित है एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहपुरा द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान किया जाने के आदेश फरमाये गये है प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि होने एवं न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल आराजी खसरा नं. 333/0.14, 513/334/0.1150, 500/243/0.445, हैक्ट, भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का साईवाड भू. अभि. क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. का मुताबिक फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 19.04.2023 के अनुसार पुलिस सहायता से पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 व 10 की ओर अधिवक्ता रामनिवास गुर्जर ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना–पत्र के जिमन नंबर 1 में वर्णित भूमि खातेदारी के साथ अन्य खातेदारों के शामिल की खातेदारी रही है उक्त भूमि प्रार्थी के बंटवारे में निर्णय दिनांक 31.08.2022 के अनुसार आयी है। यहकि हाल खाता सं0–128 के हाल आराजी खसरा नं0–241/476/0.05, 308/475/0.11, 309/0.40, 310/0.41 किता–4 रकबा 0.97 है० व खाता सं0–314/0.10, 315/0.12, 316/0.14, 317/0.22 किता–4 रकबा 0.58, खाता सं0–13 के हाल आराजी खसरा नं0–241/0.37, 242/0.02, 243/0.50, 244/0.37, 308/0.29, किता–5 रकबा 1.55 है० खाता सं0–131 हाल के हाल खसरा नं0–43/0.52, 44/0.27, 45/0.41, 46/0. 65, 48/0.31, 49/0.31, 52/481/0.57, 325/0.11, 326/0.10, 327/0.54, 329/0.11, 330/0.10, 331/0.17, 332/0.14, 333/0.14, 334/0.14, 335/0.50 किता 17 रकबा 5. 090 खसरा नं0–43 लगायत 52/481 किता–7 रकबा 3.04 है0 व 325 लगायत 335 किता 10 रकबा 2. 05 है० वाकै ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0–2 लगायत 6 व 10 के नाम 'शामिल की कृषि भूमि रही है तथा 'शामिल में रहकर काश्त करते आ रहे है। यहकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक–31. 08.2022 के अनुसार न्यायालय श्रीमान् द्वारा बंटवारा किया गया है जिसके अनुसार 310/2/0.40 प्रार्थी व अप्रार्थीगण को 'शामिल में रखी है जिसमें प्रार्थी च अप्रार्थी के मकान बने हुये है खसरा नं0–310/1/0.01, 309/1/0. 03, 241/476/1/0.0150 किता 3 रकबा 0.0550

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

है० 'शामिल में रास्ते रखे में रखे गये है खसरा नं0–309/2/0. 3550 है० श्रवण पुत्र सीता के अप्रार्थी सं0–5, 6 वारिस है की खातेदारी में रखे है खसरा नं0–309/3/0.0150, 308/475/0. 11, 241/476/3/0.02 किता 3 रकबा 0. 1400 है० शिवपाल पुत्र मांगूराम के वारिसान के हक में रखे है खसरा नं0–241/476/2 0.150 है० अप्रार्थी सं0–10 के हक में रखा गया है खसरा नं0–243/2/0. 4450 है० प्रार्थीगण के हक में रखा गया है खसरा नं0–243/3/0.0350, 244/0.37, 308/2/0.0650, किता–3 रकबा 0.4700 है० अप्रार्थी सं0–2 लगायत 4 व मृतक रामकरण के वारिस के हक में है खसरा नं0–308/1/0.2250 'श्योपाल पुत्र मांग्या के वारिसान के हक में रखा गया है खसरा नं0–241/2/0.36 है० अप्रार्थी सं0–10 के हक में रखा गया है खसरा नं0–241/0.01, 243/1/0.02, 242/0.02, किता 3 रकबा 0.05 है० 'शामिल में रखा गया है खसरा नं0–326/0.10 है0, 322/1/0.1250 है0 327/3/0.03 है० किता–3 रकबा 0.2550 है०, अप्रार्थीगण सं0–6 लगायत 9 के हक में रखा गया है 333/0.14, 334/1/0.1150 किता–2 रकबा 0.2550 है० प्रार्थी के हक में रखा गया है खसरा नं0–331/1/0.1450 है0, 325/0.11 किता–2 रकबा 0. 2550 है० 'श्योपाल पुत्र मांग्या के हक में रखा गया है खसरा नं0–327/2/0.05, 330/0.10, 329/0.11 है0 किता–3 रकबा 0.26 है० अप्रार्थी सं0–10 के हक में खसरा नं0–325/0.50, 327/1/0.46, 331/2/0.0250, 332/0.0150, 334/2/0.0250, किता 5 रकबा 1.02 है० प्रार्थीगण सं0–5, 6 के हक में रखा गया है खसरा नं0–45/2/0.23. 48/1/0.21, 52/481/1/0.32 है0 किता–3 रकबा 0.76 है० खसरा नं0–44/0.27, 49/31, 45/1/0.18 किता 3 रकबा 0.76 है० अप्रार्थी सं0–10 के हक में रखा गया है। प्रार्थीगण के हिस्से में रखा गया है तथा 43/0.52, 46/0.65, 48/2/0.10, 52/481/0. 25 किता–4 रकबा 1.52 है० अप्रार्थीगण सं0–5, 6 के हिस्से व बंटवारे में दिया जाकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा निर्णय दिनांक–31.08.2022 पारित किया गया है जो कि सभी खातेदारान को सीमायें एवं शामिल में रखे गये रास्ते की भूमि की सीमायें एक दूसरे से लगती हुई है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नं0–310/2 रकबा 0.40, 310/1 रकबा 0.01, 309/1 रकबा 0.03, 241/476/1 रकबा 0.0150, 309/0.3550, 309/3/0.0150, 308/475/0.11 है० 241/476/3/0.02, 241/476/2/0.0150, 243/2/0.4450, 243/3/0.0350, 244/0.3700, 308/2/0.0650, 308/1/0.2250, 341/2/0.36, 241/0.01, 243/1/0.02, 242/0.02, 326/0.10, 322/1/0.1250, 327/3/0.03, 321/1/0.1450, 325/0.11, 327/2/0.05, 330/0.10, 329/0.11, 335/0.50, 328/1/0.46, 331/2/0.0250, 332/0. 0150, 334/0.0250 है० वाकै ग्राम रथाथपुरा पटवार हल्का–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील प्रार्थी ने शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक पेश की एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रकरण में अण्डरटेकिंग दी। शेष अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उक्त शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपनी भूमि को भी पत्थरगढी में शामिल कर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजी का दिनांक 23.06.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का भी सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की प्रश्नगत हाल आराजी खसरा नं. 333/0.14, 513/334/0.1150, 500/243/0.445, हैक्ट. भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का साईवाड भू. अभि. क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का पडौसी खातेदारान/उभयपक्ष को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे तथा अप्रार्थीगण की भूमि हाल आराजी खसरा नं0–310/2 रकबा 0.40, 310/1 रकबा 0.01, 309/1 रकबा 0.03, 241/476/1 रकबा 0.0150, 309/0.3550, 309/3/0.0150, 308/475/0.11 है० 241/476/3/0.02, 241/476/2/0.0150, 243/2/0.4450, 243/3/0.0350, 244/0.3700, 308/2/0.0650, 308/1/0.2250, 341/2/0.36, 241/0.01, 243/1/0.02, 242/0.02, 326/0.10, 322/1/0.1250, 327/3/0.03, 321/1/0.1450, 325/0.11, 327/2/0.05, 330/0.10, 329/0.11, 335/0.50, 328/1/0.46, 331/2/0.0250, 332/0. 0150, 334/0.0250 है० वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का–शाहपुरा, जिला जयपुर का भी उभयपक्ष की मौजूदगी में सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी की जावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ....01/07/24.......... को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर